आर्य समाज के नियम

1. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।
2. ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है उसी की उपासना करने योग्य है।
3. वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है।
4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
5. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए।
6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
7. सबसे प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य बर्तना चाहिए।
8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति समझनी चाहिए।
10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।

।। ओ३म्।।

नियमावली

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा

नई दिल्ली



प्रकाशक

विनय आर्य, महामंत्री

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा,

15 हनुमान् रोड, नई दिल्ली-110001

।। ओ३म्।।

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के नियम

1. दिल्ली राज्य की आर्य समाजों के प्रतिनिधियों की यह सभा 'दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा' 15 हनुमान् रोड, नई दिल्ली-110001 कहलायेगी।

2. इस सभा का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ राज्य में होगा, जो इस समय 15 हनुमान् रोड, नई दिल्ली-110001 में है।

3. इस सभा का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

4. इस सभा के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे-

(क) वेदों व शास्त्रों के ज्ञान का प्रचार व प्रसार मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ दिल्ली राज्य में अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे बाहर भी करना।

(ख) मनुष्य मात्र का उपकार करना अर्थात् उनकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व सामाजिक उन्नति करना।

(ग) सत्य, न्याय, अपक्षपात्, सदाचार व परोपकार रूप वेदोक्त विचारधारा का प्रचार व प्रसार करना।

(घ) बिना देश, जाति वर्ण अथवा लिंगादि के भेदभाव के मनुष्य मात्र में यथार्थ भौतिक विज्ञान व आध्यात्मिक विद्या का प्रचार करना और इसके लिए गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थानादि संस्थाएं खोलना व यथोचित चलाना।

(ङ) मनुष्य मात्र अर्थात् जन सेवा के लिए औषधालय, चिकित्सालय व अनाथालय आदि खोलना व यथोचित चलाना।

(च) बाढ़ व दुर्भिक्षादि आपात्कालीन परिस्थितियों में बिना किसी भेदभाव के सभी पीड़ितों की सहायतार्थ सहायता केन्द्र आदि खोलना।

(छ) पशु-पक्षियों को अत्याचार से बचाना और विशेषकर दूध देने वाले गायादि पशुओं को पालना व वृद्धि के लिए गोशालादि खोलना व चलाना।

(ज) जन-कल्याणार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करना तथा नये साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन करना।

(झ) चल व अचल सम्पत्ति दान में लेना।

(ञ) सभा के नाम पर चल और अचल सम्पत्ति का क्रय करना, उसे किराये पर देना, बेचना व किसी और प्रकार से सम्पत्ति का प्रबन्ध करना जो सभा के हित में उचित हो।

(ट) उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा कोई भी कार्य करना जो इसके लिए आवश्यक हो।

5. (क) प्रत्येक वह आर्य समाज, पंजीकृत-अपंजीकृत, जो इस सभा से न्यूनतम एक वर्ष से सम्बद्ध है और सम्बन्ध शुल्क 101 रुपये देने के पश्चात् सभा को वेद प्रचार निधि में कम-से-कम 101 रुपये वार्षिक देती है, अपने प्रथम दस सभासदों के लिए एक तथा प्रत्येक अतिरिक्त 20 सभासदों के लिए एक प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकती है, जिसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। केवल वे ही व्यक्ति सभासद माने जायेंगे, जो निर्वाचन तिथि तक दो वर्ष के लिए आर्य समाज की पंजीकाओं में पंजीकृत रहे हों और यदि वे चन्दा देने वाले

सभासद हैं, तो आर्य समाज के उपनियमों के अनुसार उन्होंने पूरे 24 महीने का चन्दा दे दिया हो।

(ख) वेद प्रचार, दशांश एवं सभा-मुख पत्र 'आर्य सन्देश' के शुल्क की राशियां सभा के वार्षिक साधारण अधिवेशन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक सभा-कार्यालय में प्राप्त होनी अनिवार्य होगी।

(ग) जिन आर्य समाजों की शुल्क-राशियां समय पर नहीं आएंगी उनके प्रतिनिधि उस वर्ष सभा के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

6. आर्य समाज द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य इस सभा से सम्बद्ध किसी दूसरी आर्य समाज के आर्य सभासदों में से चुने जा सकते हैं।

7. सभा के संगठन करने के लिए पंजीकृत-अपंजीकृत आर्य समाजों के प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वर्षो के लिए होगा। किन्तु साधारण चुनावों के पश्चात् पंजीकृत-अपंजीकृत आर्य समाजों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्य-काल केवल अगले तीन वर्षीय प्रतिनिधि निर्वाचन तक ही रहेगा।

8. निम्न परिस्थितियों में प्रतिनिधि का पद रिक्त माना जाएगा-

(क) मृत्यु,

(ख) पागलपन,

(ग) त्याग पत्र,

(घ) आर्य सभासद न रहना,

(ड़) किसी ऐसे अपराध में दण्डित होना जो सभा की दृष्टि में उस व्यक्ति को सभा की सदस्यता के अयोग्य कर दे।

(च) नामांकित करने वाली आर्य समाज द्वारा उनका नाम वापस ले लेना।

(छ) किसी आर्य समाज का कोई सदस्य-प्रतिनिधि जो आर्य समाज या आर्य प्रतिनिधि सभा के विरुद्ध कोई विषय लेकर सरकारी न्यायालय में जाये।

9. सभा से सम्बद्ध प्रत्येक आर्य समाज द्वारा प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक नियत फार्म पर उन सभासदों की सूची सभा को भेजनी अनिवार्य होगी, जो उस समाज की अन्तरंग सभा द्वारा वर्ष के लिए घोषित किये गये हों।

10. सभा से सम्बद्ध होने की इच्छुक प्रत्येक आर्य समाज, नियत फार्म पर एक प्रार्थना पत्र सभा के कार्यालय को भेजेगी। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना सभा की अन्तरंग सभा के अधिकार में होगा।

11. इस सभा से सम्बद्ध किसी भी आर्य समाज को सभा से सम्बन्ध विच्छेद करने या स्वतन्त्र रूप से पंजीकृत कराने का अधिकार न होगा।

12. (क) प्रत्येक आर्य समाज सदस्यों या सभासदों द्वारा वर्ष में दिये शतांश का दसवां भाग (दशांश) सभा को प्रतिवर्ष देगी।

(ख) प्रत्येक आर्य समाज यह दशांश अपने घोषित सदस्यों व सभासदों की सूची के साथ सभा को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक भेजा करेगी।

13. सभा के वार्षिक अधिवेशन के स्थान का निर्णय सभा की अन्तरंग सभा किया करेगी।

14. सभा की बैठक दो प्रकार की होगी-

(क) वार्षिक साधारण (सामान्य) बैठक।

(ख) असाधारण (विशेष) नैमित्तिक बैठक।

सभा के संविधान (नियम और संस्था का ज्ञापन पत्र) में संशोधनों और अन्य ऐसे विषयों को छोड़कर जिन पर अन्तरंग सभा की सम्मति के विचार में असाधारण (विशेष) बैठक में होना चाहिए, शेष सभी विषयों पर विचार-विमर्श वार्षिक साधारण बैठक में किया जायेगा।

15. (क) वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए 30 दिन की स्पष्ट सूचना आवश्यक होगी।

(ख) वार्षिक साधारण अधिवेशन वर्ष में एक बार निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगा-

(1.) सभा की वार्षिक रिपोर्ट और आय तथा व्यय की स्वीकृति।

(2.) अगले वर्ष के लिए सभा और उसके विभागों के बजट की स्वीकृति।

(3.) सभा मन्त्री द्वारा पूर्व सूचित विषयों पर विचार विमर्श और निर्णय।

(4.) अन्तरंग सभा द्वारा किये गये ऐसे निर्णयों पर विचार जिन पर विचार करने के लिए सम्बद्ध आर्य समाज ने प्रस्ताव किया हो।

(5.) प्रत्येक त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन में सभा के पदाधिकारियों, अन्तरंग सभा, आर्य विद्या सभा और राजार्य सभा के सदस्यों तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के लिए प्रतिनिधियों आदि का निर्वाचन।

(ग) सभा की असाधारण (विशेष) बैठक निम्नलिखित परिस्थितियों में बुलाई जाएगी-

(1.) जब अन्तरंग सभा यदि ऐसी बैठक बुलाने की आवश्यकता का अनुभव करे।

(2.) जब सभा के एक तिहाई सदस्य लिखित रूप से मांग करें कि सभा की ऐसी बैठक बुलाई आए और इस मांग में उस उद्देश्य को स्पष्ट करें, जिसके लिए वे इस बैठक को बुलाना चाहते हैं।

(3.) अन्तरंग सभा की स्वीकृति पर ऐसी बैठक का 30 दिन के अन्दर-अन्दर बुलाया जाना आवश्यक होगा।

16. मतदान हाथ उठाकर अथवा बैलेट (मतपत्र) द्वारा या सदस्यों के विभाजन द्वारा होगा।

17. सब विषय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय किये जाएंगे। दोनों ओर मतों की समान संख्या होने पर सभा प्रधान को अपने निर्णायक मत के प्रयुक्त करने का अधिकार होगा।

18. साधारण बैठकों में सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या 40 संख्या होने पर जो भी कम हो कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी, किन्तु सभा के सदस्यों की संख्या यदि चार सौ से अधिक हो, तो कुल सदस्यों के 1/10 भाग की उपस्थिति में भी कार्यवाही आरम्भ हो जाएगी। असाधारण बैठकों में सदस्यों की आधी संख्या उपस्थित होने पर कार्यवाही आरम्भ होगी।

19. लगातार तीन बार अधिकारी रहने पर वह अधिकारी 75 प्रतिशत उपस्थित सदस्यों के मतों द्वारा पुनः निर्वाचित हो सकेगा।

20. सभा के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे-

प्रधान, उपप्रधान (चार), महामन्त्री, मन्त्री (छः), कोषाध्यक्ष।

21. सभा के कार्य को चलाने के लिए अन्तरंग सभा होगी, जिसका संगठन निम्नलिखित होगा-

(1.) सभा के पदाधिकारी	13
(2.) समूह प्रतिनिधि	10
(3.) प्रधान द्वारा मनोनीत	 05
योग:	 41

22. इन नियमों की धारा 8 के अन्तर्गत पदाधिकारियों या अन्तरंग सभा के सदस्यों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर अन्तरंग सभा को अधिकार होगा कि वह सभा के सदस्यों में से किसी को उस पद के लिए नामांकित कर दे।

23. सभा का सामान्य नियंत्रण, अनुशासन और वित्त-प्रशासन अन्तरंग सभा के आधीन होगा।

24. पदाधिकारियों के कर्त्तव्य और अधिकार निम्नलिखित होंगे-

प्रधान

(1) सभा की साधारण सामान्य बैठक, असाधारण (विशेष) बैठक, अन्तरंग सभा, विद्या सभा, आर्य विद्या परिषद्, राजार्य सभा तथा इन निकायों द्वारा नियुक्त उपसमिति की बैठकों का सभापतित्त्व करना।

(2) सभा के कार्यों का नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण करना तथा उसके हितों की रक्षा और उन्नति करना।

(3) पदाधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(4) सभा के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करने वाली समस्त आर्य समाजों, संस्थाओं और उनके कार्य-संचालन पर दृष्टि रखना।

(5) आपात् स्थिति के समय विशेष अधिकार प्रयोग में लाना और अन्तरंग सभा की अगली बैठक में सभा-सम्बन्धी विषयों का विवरण प्रस्तुत करना।

(6) किसी स्थानीय आर्य समाज के द्वारा आर्य प्रतिनिधि सभा का खुला या निरन्तर विरोध अथवा उसके नियम या आज्ञा की अवज्ञा होने पर अथवा उस स्थानीय आर्य समाज में कोई ऐसी अव्यवस्था होने पर जो समाज या सभा के हितों के लिए घातक हो, एक निश्चित अवधि के लिए उक्त आर्य समाज की अन्तरंग सभा को निलम्बित करना तथा उस आर्य समाज के अथवा उसके अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं के कार्य- प्रबन्ध के लिए व्यवस्था करना और सम्पूर्ण विषय को अन्तरंग सभा की अगली बैठक में रखना।

(7) अपना कोई भी अधिकार उपप्रधान को सौंप देना या किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देना।

(8) विशेष परिस्थितियों में बजट के अनुसार पांच सौ रुपये तक की राशि व्यय करना।

(9) सभा के प्रधान की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपप्रधान सब बैठकों का सभापतित्व करेगा और सभा-प्रधान के कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा उसके अधिकारों का उपयोग करेगा।

उपप्रधान

(1) प्रधान को उसके कर्त्तव्यों का पालन करने में सहायता करना।

(2) सभा-प्रधान द्वारा सौंपे हुए कार्य को सम्पन्न करना।

महामंत्री

(1) सभा की ओर से सारा पत्र-व्यवहार करना।

(2) सभा से सम्बन्धित सब फाइलों, पंजिकाओं और पत्रों आदि की देखभाल करना।

(3) सभा की अन्तरंग सभा तथा कार्यकारिणी समिति आदि की कार्यवाहियों को कार्यवाही पंजिका में अंकित करना और अगली बैठक में रखना।

(4) वार्षिक विवरण तैयार करना और उसे सभा के वार्षिक साधारण अधिवेशन में प्रस्तुत करना।

(5) कार्यालय से सम्बन्धित सब कार्य का उत्तरदायित्व संभालना, रिकार्डो, मूल्यवान् ऋण-पत्रों तथा प्रलेखों की सुरक्षा की व्यवस्था करना एवं सभा की सम्पत्ति की सुरक्षा व देखरेख करना।

(6) सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित करना तथा प्रधान की आज्ञानुसार कार्य करना और सभा के हित में उचित अन्य कार्यो को भी इसी प्रकार सम्पन्न करना।

(7) सभा की आय की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करना।

(8) नियमों के अनुसार प्रत्येक बैठक को बुलाना और उसके लिए सब व्यवस्थाएं करना।

(9) सभा के बिलों की समीक्षा करना तथा उन्हें नियमानुसार पारित करना।

(10) कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना तथा उनके कार्यो की देख-भाल करना।

(11) विशेष कार्यो के लिए सभा द्वारा नियुक्त उपसमितियों की रिपोर्टो को प्राप्त करना और विचार के लिए उन्हें अन्तरंग सभा तथा सामान्य निकाय की बैठक में प्रस्तुत करना।

(12) सम्बद्ध आर्य समाजों से प्रतिनिधियों की सूचियां, दशांश और वेद प्रचार आदि का चन्दा इकट्ठा करना।

(13) बजट के उपबन्धों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में धन व्यय

करना जिसकी राशि किसी एक ही समय 250 रुपये से अधिक न हो।

(14) अन्तरंग सभा या आर्य विद्या सभा की स्वीकृति से सभा को व गुरुकुलों अन्य विद्यालयों, स्कूलों, कालेजों तथा अन्य संस्थाओं की सम्पत्ति की देखरेख तथा उसका प्रबन्ध करना, ऋण लेना, क्रय-विक्रय के लिए अधि ाकार-पत्र प्रदान करना, ऊपर लिखे गये सब कार्यो के लिए सामान्य अधिकार पत्र प्रदान करना और न्यायालयों के मुकद्दमों का संचालन करना।

मंत्री

(1) महामंत्री को उसके कर्त्तव्यों के पालन में सहायता करना।

(2) महामंत्री द्वारा सौंपे हुए कार्य को सम्पन्न करना।

कोषाध्यक्ष

(1) सभा की आय को प्राप्त करना, प्राप्ति की रसीद देना, धन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्भालना सभा के मंत्री द्वारा नियमानुसार स्वीकृत बिलों का भुगतान करना, सभा के लेखा का प्रबन्ध तथा परिचालन करना और अन्तरंग सभा की स्वीकृति से धन का विनियोग करना।

(2) सभा के स्वीकृत बजट के विरुद्ध धन अगाऊ न देना।

(3) प्रधान या मंत्री की लिखित आज्ञा के बिना कोई व्यय न करना।

(4) सम्पूर्ण आय-व्यय का लेखा रखना तथा उसकी जांच पड़ताल और देखरेख करना।

(5) अन्तरंग सभा की बैठक में प्रत्येक तीन महीनों में एक बार सम्पूर्ण आय-व्यय प्रस्तुत करना।

(6) सभा की चल-अचल सम्पत्ति की तथा उससे प्राप्तव्य आय की सुरक्षा और वृद्धि की व्यवस्था करना।

25.

आर्य विद्या सभा

गुरुकुलों के प्रबन्ध और नियंत्रण के लिए एक समिति होगी जो आर्य विद्या सभा कहलायेगी और जिसके सदस्य पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा, हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा व दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि होंगे जैसाकि वे इस विषय में नियम-निर्देश करेंगे।

26.

आर्य विद्या परिषद्

(क) सभा के अन्तर्गत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध अन्य शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध तथा नियंत्रण के लिए एक समिति होगी, जो आर्य विद्या परिषद् कहलाएगी।

(ख) आर्य विद्या परिषद् के संविधान, अधिकारों और संगठन का निर्धारण सभा की अन्तरंग सभा द्वारा किया जाएगा। सभा के पदाधिकारियों को छोड़कर परिषद् में होने वाले शेष किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा द्वारा की जाएगी।

27. सभा के पदाधिकारी प्रधान और महामंत्री विद्या सभा एवं विद्या परिषद् के पदेन सदस्य होंगे।

28. सभा की सामान्य बैठक या अन्तरंग सभा अथवा किसी उपसमिति की किसी भी बैठक की कार्यवाही केवल इसलिए अवैध शक्ति-वाह्य या नियम-विरुद्ध नहीं समझी जाएगी, क्योंकि आवश्यक फार्म किसी सम्बन्ध आर्य समाज, संस्था अथवा उसके प्रतिनिधि तक न पहुंच सका या किसी बैठक की सूचना नहीं दी गयी या सम्बद्ध समाज अथवा संस्था के प्रतिनिधियों का चुनाव नियम विरुद्ध था या उस आर्य समाज अथवा संस्था के प्रतिनिधि बैठक में भाग न ले सके या उन्हें बैठक में भाग न लेने दिया गया और या नियम-विरुद्ध चुने

जाकर उन्होंने बैठक में भाग लिया।

प्रान्तीय न्याय सभा

29. (क) अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में सभा एक प्रान्तीय न्याय सभा का चुनाव करेगी, जिसमें सात सदस्यों से अधिक न होंगे। इस न्याय सभा को उन विवादास्पद विषयों पर अपना निर्णय देने का पूर्ण अधिकार होगा जो आर्य सदस्यों, सभासदों के बीच उत्पन्न हों या आर्य समाजों के चुनावों के कारण उत्पन्न तथा इसी प्रकार का अधिकार आर्य समाज से सम्बद्ध बहुत से पारस्परिक अथवा अन्य झगड़ों पर भी निर्णय देने का होगा।

(ख) आर्य प्रतिनिधि सभा का कोई भी सदस्य न्याय सभा का सदस्य न हो सकेगा। किन्तु यह आवश्यक होगा कि न्याय सभा का प्रत्येक सदस्य सभा के सदस्यों की तरह उच्च चरित्र, विचार और ख्याति और विशेष अनुभव के व्यक्ति होंगे।

(ग) न्याय सभा अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयं बनाएगी, किन्तु आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा के द्वारा उन नियमों की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(घ) न्याय सभा का कोरम तीन सदस्यों का होगा और उसके निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे तथा वे निर्णय अन्तिम समझे जायेंगे।

30.

राजार्य सभा

अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में सभा एक समिति नियुक्त करेगी, जिसका नाम ''राजार्य सभा'' होगा और जो समय-समय पर उन राजनीतिक विषयों पर आर्य समाजियों का पथ-प्रदर्शन करेगी, जिसका प्रभाव सामान्य रूप से किसी प्रकार आर्यों पर पड़ता हो। इस सभा के सदस्यों की संख्या सात से

अधिक न होगी। इन सात सदस्यों में से एक सदस्य सभा का महामंत्री होगा जो राजार्य सभा का भी पदेन मंत्री होगा। यह सभा केवल उन विषयों पर निर्देश जारी करेगी जिन पर कम-से-कम केवल पांच सदस्यों की सहमति हो।

31. सभा की अन्तरंग सभा प्रतिवर्ष सभा के अन्तर्गत कार्य करने वाली सब संस्थाओं के निरीक्षण के लिए स्थानीय समितियां नामांकित करेगी। इन समितियों की रिपोर्ट भी वार्षिक सामान्य (साधारण)बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। किसी भी स्थानीय समिति में सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी।

32. इन नियमों में आर्य समाज और आर्य समाज के सदस्य व आर्य सभासद् शब्दों का अर्थ वही होगा जो सार्वदेशिक सभा द्वारा निर्धारित आर्य समाज में उपनियमों में स्पष्ट किया जा चुका है।

33. इस सभा के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सब आर्य समाजें मिलकर आर्य प्रतिनिधि सभा का संगठन करती हैं, इसलिए सभा को अधिकार होगा कि वह उन सब आर्य समाजों का पर्यवेक्षण नियंत्रण और निर्देशन करें तथा इस सभा को वे सब अधिकार भी प्राप्त होंगे, जिन्हें आर्य प्रतिनिधि सभा के लिए आर्य समाज के उपनियमों के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

34. (क) साधारणत: सभा कोई ऋण न लेगी, न ही अपने को किसी वित्तीय उत्तरदायित्व से या व्यक्तिगत ऋण पत्र से भारग्रस्त करेगी। किन्तु अपवादात्मक परिस्थितियों में यह सभा या इसके नियंत्रण के अन्तर्गत संस्थाओं के हित को ध्यान में रखते हुए सभा को अन्तरंग सभा की स्पष्ट स्वीकृति से ऋण या ओवर ड्राफ्ट ले सकती है।

(ख) शिक्षा-संस्थाओं अथवा गुरुकुलों के लिए सरकार से रुपये का ऋण लेने हेतु निम्नलिखित नियम होंगे-

(1) शिक्षा-संस्थाओं व गुरुकुल के लिए बॉण्डों, रहनों, एक्कों या प्रतिभूतियों के अन्य उन दायित्वों पर सोसायटी को किसी एक या सब सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों पर आधारित या अस्थापित हों या बिना किन्हीं प्रतिभूतियों के उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर जिन्हें सभा ठीक समझे, धन की व्यवस्था करना और ऋण लेना तथा इस व्यवस्था में होने वाले किसी भी अथवा प्रासंगिक व्यय का सभा की ओर से भुगतान करना और ऋण लिए हुए धन का भुगतान तथा मोचन करना।

(2) अन्य सब क्रियाओं और कार्यों को करना, जिन्हें सभा पूर्वोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति या वृद्धि के लिए आवश्यक सहायक या प्रासंगिक समझे।

(3) सभा के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बन्धित सब सुविधाएं और विलेख सभा द्वारा निर्मित किये जायेंगे तथा सभा को अन्तरंग सभा की स्वीकृति के बाद महामंत्री सभा की ओर से निष्पादित किये जायेंगे।

35. अपनी प्रक्रिया के लिए सभा नियम स्वयं बनाएगी।

36. यदि किन्ही परिस्थितियों के कारण सभा या अन्तरंग सभा या आर्य विद्या सभा या आर्य विद्या परिषद् के सदस्यों या प्रतिनिधियों के चुनाव निश्चित अवधि की समाप्ति पर नहीं हो सकते हों तो वर्तमान सदस्य और प्रतिनिधि नये चुनाव हो जाने तक अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे, किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था एक वर्ष से अधिक समय के लिए न रहेगी।

37. सभा को इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन और विलोपन करने का अधिकार होगा। किन्तु यह अधिकार असामान्य (विशेष) बैठकों में क्रियान्वित किया जा सकेगा, जिसमें उपस्थिति सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 2/3

से कम न हो। किन्तु इस नियम में तब तक परिवर्तन न होगा, जब तक सभा से सम्बद्ध उस समय के आर्य समाजों के सभासदों का बहुमत अपनी सहमति इस परिवर्तन के लिए न दे।

38. यदि कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि सभा की सम्पूर्ण गतिविधियां ठप्प हो जाएं और उसका कोई भी कार्य सभा के विधान के अनुसार संचालित न होता हो तो सभा के कुल सदस्यों का कम से कम आठ प्रतिशत भाग यह निर्धारित कर सकेगा कि सभा की सम्पत्ति के निपटान व फैसले के लिए 1860 के सोसायटियों के रजिस्ट्रेशन कानून की 13 धारा की व्यवस्थाओं के अनुरूप इसके दावों एवं देनदारियों के निपटान व फैसले के लिए सब आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे और इसका विघटन किया जा सकेगा।

39. 1860 के सोसायटियों के रजिस्ट्रेशन कानून संख्या 21 (1957 के पंजाब संशोधन कानून जिसे दिल्ली के संघ क्षेत्र में लागू किया गया है) की समस्त व्यवस्थाएं इस सोसायटी पर भी लागू होंगी। हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त प्रतिलिपि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के नियमों की शुद्ध प्रतिलिपि है।

धर्म पाल
प्रधान

विनय आर्य
महामंत्री

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 15 हनुमान् रोड, नई दिल्ली-110001